भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3012

13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक स्वास्थ्य देखरेख पेशेवर

3012. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भारत में अन्य देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संबंधी पेशेवरों की संख्या सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमी के कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार की योजना मानसिक स्वास्थ्य समस्या को समुचित तरीके से हल करने और देश में मानसिक रोग से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने हेतु मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाने की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नवंबर, 2024 तक राज्य चिकित्सा परिषदों (एसएमसी) और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में 13,86,145 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की 80% उपलब्धता और लगभग 6.14 लाख आयुष डॉक्टरों को मानते हुए देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:811 है जो डब्ल्यूएचओ के 1:1000 के मानक से बेहतर है।

निमहांस, बेंगलुरु द्वारा देश के 12 राज्यों में किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) 2016 के अनुसार, एनएमएचएस राज्यों में मनोचिकित्सकों की उपलब्धता मध्य प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर 0.05 से लेकर केरल में प्रति लाख जनसंख्या पर 1.2 तक भिन्न-भिन्न थी।

(ग) और (घ) सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और इसके बाद एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 102% की वृद्धि हुई है जो 2014 से पहले 387 थी जो अब बढ़कर 780 है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 130% की वृद्धि हुई है जो 2014 से पहले 51,348 थी जो अब बढ़कर 1,18,137 हो गई है और पीजी सीटों में 135% की वृद्धि हुई है जो 2014 से पहले 31,185 थी जो अब बढ़कर 73,157 हो गई है।

देश में मनोचिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी) ने 15.1.2024 को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ - 2023 (पीजीएमएसआर-2023) जारी की हैं। एमडी (मनोचिकित्सा) की शिक्षा आरंभ करने /सीटों में वृद्धि करने के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 20% की वृद्धि सहित अधिकतम 2 पीजी छात्रों के वार्षिक प्रवेश हेतु ओपीडी की संख्या घटाकर 30 प्रतिदिन कर दी गई है। इसी प्रकार, मेडिकल कॉलेज में 2 सीट, 3 सीट और 5 सीट के साथ एमडी (मनोचिकित्सा) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रति यूनिट न्यूनतम आवश्यक बिस्तरों की संख्या क्रमशः 8, 12 और 20 बिस्तर हैं।

एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के तहत, मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं वाले पीजी विभागों में छात्रों के प्रवेश को बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में 47 पीजी विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहयोग दिया है।

इसके अलावा, भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) को लागू कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के घटकों में से एक विशेषज्ञ और गैर-विशेषज्ञ संवर्गों जैसे चिकित्सा अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नर्सों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य पारिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिकाविज्ञान संबंधी और नशीले-पदार्थ के उपयोग संबंधी विकारों (एमएनएस) पर विभिन्न संवर्गों के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण मैनुअल जारी किए गए हैं।

सरकार तीन केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची में 2018 से स्थापित डिजिटल अकादमियों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या चिकित्सा और पैरा-मेडिकल पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम प्रदान करके देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति की उपलब्धता को भी बढ़ा रही है। डिजिटल अकादमियों के तहत प्रशिक्षित पेशेवरों की कुल संख्या 42,488 है।

भारतीय पुनर्वास परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान में 66 संस्थान/विश्वविद्यालय एम.फिल. नैदानिक मनोविज्ञान पाठ्यक्रम चला रहे हैं। परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से बी.एससी. नैदानिक मनोविज्ञान (ऑनर्स) पाठ्यक्रम शुरू किया है और नैदानिक मनोविज्ञान में अधिक पेशेवरों को तैयार करने के लिए 19 विश्वविद्यालयों को यह पाठ्यक्रम चलाने की स्वीकृति दी है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। दिनांक 22.11.2024 की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 15,95,000 से अधिक कॉल का समाधान किया गया है।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस - 10 अक्टूबर, 2024 के अवसर पर टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे कल्याण से लेकर मानसिक विकारों तक के मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

*****